

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 70

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	970.26	62.38	1032.64	3179.49	3.75	3183.24	1865.39	2.79	1868.18	3346.28	3.72	3350.00
<b>वसूलियां</b>	-878.47	...	-878.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>91.79</b>	<b>62.38</b>	<b>154.17</b>	<b>3179.49</b>	<b>3.75</b>	<b>3183.24</b>	<b>1865.39</b>	<b>2.79</b>	<b>1868.18</b>	<b>3346.28</b>	<b>3.72</b>	<b>3350.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	28.21	1.38	29.59	33.62	2.00	35.62	41.33	2.48	43.81	36.10	1.71	37.81
2. अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम	83.51	...	83.51	95.25	1.75	97.00	129.15	0.31	129.46	140.99	2.01	143.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>111.72</b>	<b>1.38</b>	<b>113.10</b>	<b>128.87</b>	<b>3.75</b>	<b>132.62</b>	<b>170.48</b>	<b>2.79</b>	<b>173.27</b>	<b>177.09</b>	<b>3.72</b>	<b>180.81</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
3. कौमी बन्धु बोर्ड तरङ्गिणी योजना और शहरी बन्धु संपत्ति विकास योजना	0.10	...	0.10	16.00	...	16.00	3.07	...	3.07	13.00	...	13.00
4. शिक्षा सशक्तिकरण												
4.01 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	95.83	...	95.83	326.16	...	326.16	90.00	...	90.00	195.70	...	195.70
4.02 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	85.02	...	85.02	1145.38	...	1145.38	343.91	...	343.91	413.99	...	413.99
4.03 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति (स्नातक और स्नातकोत्तर)	152.74	...	152.74	33.80	...	33.80	19.41	...	19.41	7.34	...	7.34
4.04 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	83.45	...	83.45	45.08	...	45.08	45.08	...	45.08	42.84	...	42.84
4.05 अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	11.70	...	11.70	10.00	...	10.00	3.50	...	3.50	10.00	...	10.00
4.06 विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर व्याज सब्सिडी	...	...	...	15.30	...	15.30	15.30	...	15.30	8.16	...	8.16
<b>जोड़- शिक्षा सशक्तिकरण</b>	<b>428.74</b>	...	<b>428.74</b>	<b>1575.72</b>	...	<b>1575.72</b>	<b>517.20</b>	...	<b>517.20</b>	<b>678.03</b>	...	<b>678.03</b>
5. कौशल विकास और आजीविका												
5.01 एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
5.02 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	...	61.00	61.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(एनएमडीएफसी) को इकटिरी का अंशदान												
जोड़- कौशल विकास और आजीविका	3.00	61.00	64.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
<b>6. अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम</b>												
6.01 अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन	13.27	...	13.27	20.00	...	20.00	12.20	...	12.20	20.00	...	20.00
6.02 छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना	1.00	...	1.00	6.00	...	6.00	5.53	...	5.53	6.00	...	6.00
जोड़- अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम	14.27	...	14.27	26.00	...	26.00	17.73	...	17.73	26.00	...	26.00
<b>7. पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)</b>												
7.01 पीएम-विकास	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00	267.29	...	267.29
7.02 पीएम-विकास प्रतिबद्ध देयताएं	209.42	...	209.42	500.00	...	500.00	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00
जोड़- पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)	209.42	...	209.42	500.00	...	500.00	230.00	...	230.00	517.29	...	517.29
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>655.53</b>	<b>61.00</b>	<b>716.53</b>	<b>2120.72</b>	...	<b>2120.72</b>	<b>770.00</b>	...	<b>770.00</b>	<b>1237.32</b>	...	<b>1237.32</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	12.18	...	12.18	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	14.89	...	14.89
9. भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.59	...	1.59	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>13.77</b>	...	<b>13.77</b>	<b>17.00</b>	...	<b>17.00</b>	<b>16.00</b>	...	<b>16.00</b>	<b>17.89</b>	...	<b>17.89</b>
<b>अन्य</b>												
10. वास्तविक वसूलियां	-878.47	...	-878.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>-864.70</b>	...	<b>-864.70</b>	<b>17.00</b>	...	<b>17.00</b>	<b>16.00</b>	...	<b>16.00</b>	<b>17.89</b>	...	<b>17.89</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>अल्पसंख्यक विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम</b>												
11. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	189.23	...	189.23	910.90	...	910.90	908.90	...	908.90	1913.97	...	1913.97
12. मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-अल्पसंख्यक विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम</b>	<b>189.24</b>	...	<b>189.24</b>	<b>912.90</b>	...	<b>912.90</b>	<b>908.91</b>	...	<b>908.91</b>	<b>1913.98</b>	...	<b>1913.98</b>
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>189.24</b>	...	<b>189.24</b>	<b>912.90</b>	...	<b>912.90</b>	<b>908.91</b>	...	<b>908.91</b>	<b>1913.98</b>	...	<b>1913.98</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>91.79</b>	<b>62.38</b>	<b>154.17</b>	<b>3179.49</b>	<b>3.75</b>	<b>3183.24</b>	<b>1865.39</b>	<b>2.79</b>	<b>1868.18</b>	<b>3346.28</b>	<b>3.72</b>	<b>3350.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और	-375.17	...	-375.17	1667.44	...	1667.44	739.76	...	739.76	812.12	...	812.12

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अल्पसंख्यकों का कल्याण												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	307.29	...	307.29	602.55	...	602.55	377.09	...	377.09	653.71	...	653.71
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	28.20	...	28.20	33.62	...	33.62	41.33	...	41.33	36.10	...	36.10
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	61.00	61.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.38	1.38	...	3.75	3.75	...	2.79	2.79	...	3.72	3.72
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>-39.68</b>	<b>62.38</b>	<b>22.70</b>	<b>2303.61</b>	<b>3.75</b>	<b>2307.36</b>	<b>1158.18</b>	<b>2.79</b>	<b>1160.97</b>	<b>1501.93</b>	<b>3.72</b>	<b>1505.65</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	318.70	...	318.70	167.89	...	167.89	315.98	...	315.98
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	131.47	...	131.47	527.12	...	527.12	518.27	...	518.27	1518.31	...	1518.31
8. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	30.06	...	30.06	21.05	...	21.05	10.06	...	10.06
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>131.47</b>	<b>...</b>	<b>131.47</b>	<b>875.88</b>	<b>...</b>	<b>875.88</b>	<b>707.21</b>	<b>...</b>	<b>707.21</b>	<b>1844.35</b>	<b>...</b>	<b>1844.35</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>91.79</b>	<b>62.38</b>	<b>154.17</b>	<b>3179.49</b>	<b>3.75</b>	<b>3183.24</b>	<b>1865.39</b>	<b>2.79</b>	<b>1868.18</b>	<b>3346.28</b>	<b>3.72</b>	<b>3350.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी अंशदान	61.00	...	61.00	...	800.00	800.00	...	742.00	742.00	...	780.00	780.00	...	780.00	780.00	...	780.00	780.00
<b>जोड़</b>	<b>61.00</b>	<b>...</b>	<b>61.00</b>	<b>...</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>...</b>	<b>742.00</b>	<b>742.00</b>	<b>...</b>	<b>780.00</b>	<b>780.00</b>	<b>...</b>	<b>780.00</b>	<b>780.00</b>	<b>...</b>	<b>780.00</b>	<b>780.00</b>

- सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।
- अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम:** यह प्रावधान भारत और सीजेआई, जेद्दाह, सऊदी अरब में हज प्रबंधन के लिए है।
- कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना:** कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) और शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीके) रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण और खाली शहरी वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने और इसे व्यावसायिक आय को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि क्रमशः कल्याणकारी गतिविधियों में विस्तार किया जा सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फबोर्डों को डब्ल्यूएसएसआई मॉड्यूल में डेटा एंट्री करने, वक्फ संपत्ति की जीआईएस मैपिंग, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटरिंग फैसिलिटी (सीसीएफ) के रखरखाव, एसडब्ल्यूबी के बेहतर प्रशासन के लिए ईआरपी सॉल्यूशन हेतु

जनशक्ति की तैनाती, एसडब्ल्यूबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना, मुतव्वली / प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार, एसडब्ल्यूबी के प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागत को पूरा करने हेतु विधिक और लेखा खंड को सुदृढ बनाने हेतु क्यूडब्ल्यूबीटीएस के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।

एसडब्ल्यूएसवीवाई के तहत, शहरी वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों जैसे कि वाणिज्यिक परिसरों, मैरिज हॉल, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए देश में विभिन्न वक्फ संस्थानों को व्याज मुक्त ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद दोनों योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

4.01. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा IX और X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।

4.02. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कक्षा XI व XII स्तरों में अध्ययनों के लिए और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीएच.डी स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों।

4.03. **पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति (स्नातक और स्नातकोत्तर):** यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु योग्यता मानदंड को पूरा करते हैं।

4.04. **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम. फिल. तथा पी. एच. डी. जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है। अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम. फिल. तथा पी. एच. डी. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुरूप है।

4.05. **अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोर्सेज और संबद्ध योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में वृद्धि करके उन्हें सरकारी/ निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है।

4.06. **विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** इस योजना को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.01. **एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को उनकी क्षमताओं और प्रचालनों को सद्दृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

6.01. **अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य 15 सूत्रीय कार्यक्रम और अध्ययन के अन्य क्षेत्रों सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और अनुवीक्षण करना तथा साथ ही इस मंत्रालय के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों के प्रचार-प्रसार के लिए गहन मल्टी-मीडिया अभियान चलाना है।

6.02. **छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना:** यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें अनुदान सहायता के रूप में केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन चयनित पारसी पंचायत/अंजुमन के सहायता से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिसमें संबंधित छोटे अल्पसंख्यक समुदाय को आधार से जुड़ी प्रणाली के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकना है।

7. **पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास):** प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक कौशल-वर्धन पहल है जो देश भर के अल्पसंख्यक और शिल्पकार समुदायों के कौशल-वर्धन, उद्यमशीलता और नेतृत्व प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं पर बल देती है। इस योजना को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के अभिसरण से तथा स्किल इंडिया

पोर्टल (एसआईपी) के साथ समेकन के माध्यम से लागू करने का इरादा है। इस योजना में 15वें वित्त आयोग की अवधि में से लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित घटक शामिल हैं

1. कौशल संवर्धन और प्रशिक्षण घटक :-

क. पारंपरिक प्रशिक्षण उप-घटक (पूर्व में उस्ताद और हमारी धरोहर के रूप में ज्ञात)

ख. गैर-पारंपरिक कौशल संवर्धन उप-घटक (पूर्व में सीखो और कमाओ के रूप में ज्ञात)

2. नेतृत्व एवं उद्यमशीलता घटक (पूर्व में नई रोशनी)

3. शिक्षा घटक (पूर्व में नई मंजिल)

8. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

9. **भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** यह प्रावधान भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

11. **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:** पीएमजेवीके (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। पीएमजेवीके का उद्देश्य , चयनित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए अर्थात् चिन्हित जिलों के मुख्यालयों/ ब्लॉकों / कस्बों / गांवों के समूह जहां अल्पसंख्यक आबादी काफी अधिक है और जो अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं) में विकास की कमियों को दूर करना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वयन के लिए एमएसडीपी को पुनर्गठित और पुनर्निर्मित किया गया है

12. **मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना:** मदरसों में आधुनिक विषयों, शिक्षक प्रशिक्षण और अल्पसंख्यकों के संस्थानों में स्कूल की अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।